[आर**.** भानुमति और वाइन सारन**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.498-ए, 306-अपीलार्थी-अभियुक्त की पत्नी ने शादी के चार महीने के भीतर आत्महत्या कर ली-अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दहेज उत्पीड़न और उसके साथ क्रूरता के कारण पीड़ित द्वारा ऐसा चरम कदम उठाया गया था, क्योंकि अपीलार्थी का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था-निचली अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराया-उच्च विचारण न्यायालय द्वारा बनाई गई दोषसिद्धि-अपील पर कहा गया:उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को सही बनाए रखा-अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिसके माध्यम से अपीलार्थी-अभियुक्त ने पंचायत के समक्ष स्वीकार किया था कि वह किसी अन्य महिला के साथ रह रहा था और उक्त महिला के साथ अपने संबंध को तोड़ने के लिए सहमत हो गया था-इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके बाद अपीलार्थी-अभियुक्त ने उस महिला के साथ अपने संबंध जारी रखे, जिससे निश्चित रूप से पीड़ित के लिए मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा होता, जिसके कारण वह आत्महत्या कर लेती।

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:1.** तत्काल मामले में**,** अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य को भी जोड़ा है। पंचायत के समक्ष निष्पादित समझौता जिसके बारे में अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला के

साथ रहने की बात स्वीकार की है और जिसे उसकी पत्नी ने देखा था।उक्त पंचायत में यह सहमति हुई कि अपीलार्थी उक्त महिला के साथ अपना संबंध तोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी के घर में रहने के लिए सहमत हो गया।गवाह**-**पीडब्लू**-1,** पीडब्लू**-6,** पीडब्लू**-10** और पीडब्लू**-22** ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला के साथ अपने संबंध जारी रखे।अपीलार्थी के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध ने निश्चित रूप से मृतक के लिए मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा किया होगा जिसके कारण उसने आत्महत्या करने का चरम कदम उठाया होगा।उच्च न्यायालय ने धारा **498-**ए और आई**.** पी**.** सी**.** की धाराओं के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को सही ठहराया है। **[**पैरा **6,9** और **10] [908-**सी**,** जी**; 909-**ए**]**

/

/

/

906

907

कलागी पुलिस स्टेशन ए के माध्यम से सिडलिंग बनाम राज्य

गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2017) 1** एससीसी

433 :[2016] 8 एससीआर 741; रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2004) 13 एससीसी 129:[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 351-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[2016] 8 एस**.** सी**.** आर**. 741** पैरा **7 [2004] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **8** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 351**

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2009 की आपराधिक अपील संख्या 1606

/

सी. आर. में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 27.06.2007 के निर्णय और आदेश से। 2005 का ए. सं. 1642।

गिरीश अनंतमूर्ति, श्रीमती वैजयंती गिरीश, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री अनीता शेनॉय, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर. भानुमति, जे. 1.अपीलार्थी, अभियुक्त-पति, को धारा 498-ए आई. पी. सी. और 376 आई. पी. सी. के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उन्हें क्रमशः दो साल और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

/

2. अपीलार्थी-सिदलिंग का विवाह 6 मई, 2002 को मृतक-कविता के साथ संपन्न हुआ। शादी के चार महीने के भीतर, 17 सितंबर, 2002 को कविता ने गाँव के एक कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर ली।कविता द्वारा उठाए गए इस तरह के चरम कदम का कारण कथित दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न और मृतक-कविता के साथ क्रूरता भी बताया गया है, क्योंकि अपीलार्थी का एक महिला के साथ अवैध संबंध था।

/

3. निचली विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त और उसके पिता को भी धारा 498-ए और 304-बी आर/डब्ल्यू 34 आई. पी. सी. और धारा 306 आर/डब्ल्यू 34 आई. पी. सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3,4 और 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया। 4.उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को अनुज्ञात कर लिया और अपीलार्थी के पिता को सभी आरोपों/अपराधों से बरी कर दिया।जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, उच्च न्यायालय ने धारा 498-ए आई. पी. सी. और 376 आई. पी. सी. के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखा। लेकिन अपीलार्थी को अन्य अपराधों के लिए बरी कर दिया।

/

/

908

/

[2018] 10 एस सी आर।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गिरीश अनंतमूर्ति और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जोसेफ अरस्तू एस. को सुना है।

6. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं।अपीलार्थी के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, जो तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू-1, शंकर पुत्र हरिशचंदर, मृतक के पिता; पीडब्लू-10,

जमाकीबाई, मृतक की माँ; पीडब्लू-6, सेवु और पीडब्लू-22, हेमला दोनों मृतक के भाइयों के साक्ष्य से साबित हुआ है।अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य को भी जोड़ा है। 22 जून, 2002 का समझौता, जिसे पंचायत के समक्ष निष्पादित किया गया था, जिसके बारे में अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि वह किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है और जिसे उसकी पत्नी कविता ने देखा था।उक्त पंचायत में यह सहमति बनी कि अपीलार्थी उक्त महिला के साथ अपना संबंध तोड़ देगा और अपनी पत्नी कविता के घर में अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए सहमत हो गया। ऊपर उल्लिखित अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह सबूत लाया गया है कि अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला के साथ अपने संबंध जारी रखे, जिससे निश्चित रूप से उसकी पत्नी-कविता को मानसिक पीड़ा हुई।

/

/

/

7. श्री अनंतमूर्ति ने प्रस्तुत किया है कि आई. पी. सी. की धारा306 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए एक पुरुष कारण होना चाहिए और यह कि सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य होना चाहिए जिससे मृतक आत्महत्या कर सके, जिसका वर्तमान मामले में अभाव है।उनके तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2017) 1 एस. सी. सी. 433 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

/

8. जैसा कि रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2004) 13 एस. सी. सी. 129 पैरा 12 में अभिनिर्धारित किया गया है, उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी भी तरह से उस व्यक्ति को ऐसा करने में सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है।अदालतों को यह तय करने से पहले प्रत्येक मामले के तथ्यों का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए कि क्या पीड़िता के साथ क्रूरता जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है।9. हाथ में मामले के मामले में, गवाहों-पीडब्लू-1, पीडब्लू-6, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-22 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला के साथ अपने संबंध जारी रखे।अपीलार्थी के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध ने निश्चित रूप से मृतक के लिए मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा किया होगा जिसके कारण उसने आत्महत्या करने का चरम कदम उठाया होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध रखने के अपीलार्थी के कार्य ने आई. पी. सी. की धाराओं को नकारने के लिए प्रभावित नहीं किया होगा।

/

/

/

/

सिदलिंग बनाम राज्य, कलागी पुलिस स्टेशन के माध्यम से [आर. भानुमती, जे.]

/

10. हमारे सुविचारित विचार में, साक्ष्य और 22 जून, 2002 के समझौते के आधार पर, उच्च न्यायालय ने धारा 498-ए और आई. पी. सी. 116 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को सही बनाए रखा है।जहाँ तक अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने की बात है, सजा की मात्रा में नरमी के लिए प्रार्थना करते हुए, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी शादी के चार महीने के भीतर, मृतक-कविता ने अपने जीवन को समाप्त करने का चरम कदम उठाया है और पंचायत बुलाने के तीन महीने के भीतर, मृतक-कविता ने आत्महत्या कर ली है, किसी भी तरह की नरमी दिखाना गलत होगा।वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, यह अपीलार्थी की सजा की मात्रा को कम करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

/

/

12. तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान की अपील खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/